Impact Factor (SJIF): 6.092 **E-ISSN: 2583-1615**

International Journal of Research in Academic World

Received: 23/April/2023 **IJRAW:** 2023; 2(5):192-194 **Accepted:** 29/May/2023

महिला उत्पीड़नः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

***[1]देवकी मीणा**

*[1]सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, एस.पी.सी. राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत।

सारांश

भारतीय समाज में महिलाएं एक लंबे समय से शोषण, यातना तथा अवमानना का शिकार रही है। भारतीय समाज में विद्यमान विचारधारा, संस्थागत रिवाजों, प्रतिमानों आदि ने महिलाओं के उत्पीड़न में योगदान किया है। वर्तमान में महिलाएं एक ओर जहां सफलता के नए आयामों की ओर बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर अनेक महिलाएं हिंसा और गंभीर अपराधों का शिकार हो रही है। उनको पिटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, यहां तक कि उनको जीवित जलाकर उनकी हत्या तक कर दी जाती है। हमारे समक्ष यह प्रश्न आता है कि वह कौन सी महिलाएं हैं जो कि हिंसा का शिकार होती है और महिला हिंसा के मूल कारण क्या है तथा इनको किस प्रकार जड़ से खत्म किया जाए? समाज में अधिकांश लोग इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार नहीं करते बल्कि जब भी किसी महिला के साथ हिंसा की खबर देखते हैं या सुनते हैं तो उस हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय अपने घर की महिलाओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा देते हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हुई हिंसा को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य दुनिया भर की महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के प्रति लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना है और महिला हिंसा को जड़ से खत्म करना है।

मुख्य शब्दः घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, बलात्कार, समाजीकरण, पितृसत्तात्मकता।

प्रस्तावना

महिलाओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार होते हैं जो महिलाओं के स्वतंत्र व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा स्थापित करने में सैद्धांतिक रूप से चुनौती का काम करते हैं। एक महिला अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवनकाल में किसी ने किसी प्रकार से उत्पीड़न का शिकार होती हैं। भारतीय समाज में महिला उत्पीड़न के कुछ प्रमुख रूप इस प्रकार है:–

बलात्कार, यौन अत्याचार और दुर्व्यवहार

बलात्कार महिला की इच्छा और सहमति के बिना और जोर जबरदस्ती से संभोग क्रिया है। यह पुरुष और महिला के बीच शक्ति संबंध का प्रमाण है। बलात्कार में एक व्यक्ति के रूप में महिला के व्यक्तित्व का दमन होता है और उसे केवल एक वस्तु मान लिया जाता है। भारत में महिलाओं पर अत्याचार और अपराध बढ़ रहे हैं और बलात्कार की घटनाएं भी इसी प्रकार बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार प्रति 2 घंटे में देश में कहीं ना कहीं बलात्कार की घटना होती है। सबसे अधिक निराशाजनक स्थिति तो यह है कि इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है और छोटी आयु की बालिकाएं भी बलात्कार का शिकार हो रही है। यहां तक की दो या तीन वर्ष की अबोध बच्चियों को भी अपराधी अपना शिकार बनाते हैं। भारतीय समाज में बलात्कार की शिकार हुई महिला को हेय दृष्टि से देखा जाता है। जिस महिला के साथ बलात्कार होता है उस पर दोष लगाया जाता है कि महिला ने ही उसे आमंत्रित किया होगा या उसने कुछ भड़कीले वस्त्र पहने होंगे। अपराधी अधिकतर ऐसी संवेदनशील महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं जो ना तो उनके खिलाफ आवाज उठा सकती है और न ही उनका सामना कर सकती है।

***Corresponding Author:** देवकी मीणा

अनेक बार एक समूह के पुरुष दूसरी जाति के पुरुषों को नीचा दिखाने अथवा अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उनके परिवार की महिलाओं को अपना शिकार बना लेते हैं, उनका बलात्कार करते हैं और परिवार के सदस्यों द्वारा इज्जत के डर से बलात्कार के अधिकांश मामलों की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है। फिर भी आंकड़ों को देख तो एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 में देश में बलात्कार के 34, 651 मामले, वर्ष 2016 में 38, 947 मामले, वर्ष 2017 में 32, 559 मामले, वर्ष 2018 में 33, 356 मामले, वर्ष 2019 में 32, 033 मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2019 में हर 16 मिनट में एक बलात्कार की सूचना मिली, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 15 मिनट था।

इसी प्रकार पुरुषों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित करने का कार्य करता है और इस धारणा को कायम रखता है कि महिलाओं को जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पुरुषों के संरक्षण की आवश्यकता है। विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक परिवहनों, महाविद्यालयों आदि में महिलाओं के साथ छेड़खानी आम बात है। देश के कई भागों में सामूहिक बलात्कार के मामले और युवतियों को कुरूप बनाने के लिए तेजाब फेंकने की घटनाएं भी सामान्य होती जा रही है। कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न और उनके साथ दुर्व्यवहार के प्रति आवाज मुश्किल से उठाई जाती है या उसकी रिपोर्ट की जाती है, क्योंकि महिलाओं को अपने रोजगार से वंचित होने का और निंदा का भय रहता है।

घरेलू हिंसा

परिवार में महिलाओं पर अत्याचार जैसे कि पत्नी की पिटाई, दुर्व्यवहार, अत्याचार और इसी प्रकार के अन्य व्यवहार को पारिवारिक समस्याएं माना जाता है और इन्हें महिलाओं के विरुद्ध अपराध के रूप में नहीं माना जाता है। समाज के सभी वर्गों में महिलाओं पर पारिवारिक अत्याचार होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार विवाह के पश्चात शुरू के कुछ वर्षों में महिलाओं की मृत्यु की घटनाएं बढ़ रही है। नव विवाहिताओं पर अत्याचार के चरम रूप को दहेज मौतें या दुल्हन जलाने की घटना के रूप में माना जाता है। घरेलू हिंसा सभ्य समाज का एक कड़वा सच है। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत वर्ष 2019 में केवल 507 मामले दर्ज किए गए, जबकि वास्तव में यह संख्या कई गुना अधिक है। घरेलू हिंसा के अंतर्गत महिलाओं को लैंगिक, शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती है। अधिकांश मामलों में घरेलू हिंसा पति के द्वारा पत्नी या ससुराल वालों के द्वारा बहू को शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के रूप में दी जाती है और महिलाएं इसे अपना भाग्य समझकर सहती रहती है। इस प्रकार की हिंसा को सहने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि भारतीय समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा लड़की के दिमाग में यह बात बैठा दी जाती है कि एक बार पिता के घर से डोली उठने के बाद पति के घर से ही अर्थी उठानी चाहिए अर्थात् विवाह के पश्चात लड़की अपने पिता के घर वापस आकर नहीं रह सकती चाहे ससुराल वाले उसका कितना ही उत्पीड़न करें। इसी कारण अधिकांश महिलाएं बिना किसी शिकायत के शांति से इस प्रकार की हिंसा को सहती रहती है। भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण घर के प्रमुख निर्णय परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा ही लिए जाते हैं जिसके कारण अनेक बार लड़कियों को शिक्षा के उचित अवसर नहीं मिल पाते और यदि उन्हें अवसर मिल भी जाए तो उन्हें नौकरी करने के लिए घर की चार दीवारी से बाहर नहीं भेजा जाता और उन पर जबरदस्ती शादी का दबाव बनाया जाता है जो की एक प्रकार की मानसिक हिंसा है। यदि कोई लड़की अपना जीवनसाथी स्वयं चुन ले तो उसके परिवार वाले अपनी झूठी शान के लिए अपनी बेटी की हत्या करने में भी नहीं कतराते हैं। इनमें से अधिकांश मामलों की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती और इसी कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 में 3.29 लाख मामले, वर्ष 2016 में 3.38 लाख मामले, वर्ष 2017 में 3.60 लाख मामले, वर्ष 2018 में 3.71 लाख मामले दर्ज किए गए और वर्ष 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 4, 28, 278 हो गया। इनमें से अधिकांश मामले पति या रिश्तेदारों के द्वारा की गई हिंसा के हैं।

अश्लील साहित्य और संचार माध्यमों में महिलाओं का गलत चित्रण

अश्लील साहित्य, पत्र पत्रिकाओं, चित्रो, विज्ञापनों, फिल्मों आदि में महिलाओं की गलत छवि प्रस्तुत की जाती है। जिन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में देखा जाता है। इनमें वास्तव में महिलाओं के सम्मान का उल्लंघन होता है। ऐसी स्थिति में एक ओर तो बलवान, आक्रमणशील और उग्र पुरुषों की पितृसत्तात्मक छवि बनी रहती है और दूसरी ओर भोग की वस्तु के रूप में दुर्बल, विनयशील और संवेदनशील महिला की छवि बनती है। इन छवियों का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों, घरेलू उपयोग के उपकरणों और कई अन्य वस्तुओं के विज्ञापनों में वाणिज्यिक लाभ के लिए किया जाता है। महिला को कामुक और सम्मोहक के रूप में चित्रित किया जाता है और पुरुष को उग्र और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है। इन संचार माध्यमों में महिलाओं की छवि के अश्लील और गलत चित्रण के विरुद्ध समय–समय पर दबाव पड़ते रहे हैं और इनका विरोध भी होता रहता है।

महिला उत्पीड़न के प्रमुख कारण

भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों और हिंसा के लिए अनेक कारण उत्तरदायी है। इनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं–

- पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति और संसाधनों का असमान वितरण
- लैंगिक जागरूकता का अभाव

- पितृसत्तात्मक मानसिकता
- समाज द्वारा लैंगिक हिंसा को मौन सहमति
- कानून का कुशल कार्यान्वन ना होना
- घरेलू हिंसा को संस्कृति का हिस्सा बना देना
- लिंग भूमिकाओं से संबंधित प्रथाएं एवं रूढ़ियां
- महिलाओं की भूमिका विवाह और मातृत्व तक सीमित कर देना

महिला उत्पीड़न को रोकने के उपाय

भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। फिर भी महिला उत्पीड़न की समस्या के सामने अनेक चुनौतियां उपस्थित है जैसे कि न्यायालय में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों का लंबे समय तक लंबित पड़े रहना । इसी प्रकार जांच करने वाले अधिकारियों द्वारा महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता अर्थात् महिलाओं को उत्पीड़ित नहीं बल्कि अपराधी की नजर से देखा जाता है। फिर भी महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अपनाकर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को कम किया जा सकता है–

- महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने वाली संस्थाओं को मजबूत बनाया जाए।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को मजबूत करने के साथ–साथ उन्हें सख्ती से लागू किया जाए।
- महिला थानों की संख्या के साथ–साथ महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या को बढ़ाया जाए और हेल्पलाइन नंबर, फॉरेंसिक लैब की स्थापना, सार्वजनिक परिवहन में सीसीटीवी और पैनिक बटन लगाने जैसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए।
- महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता में बदलाव लाया जाए।
- महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो।
- महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए।

निष्कर्ष

इस प्रकार महिलाओं के खिलाफ हिंसा एवं उत्पीड़न का इतिहास मानव जाति के इतिहास से जुड़ा हुआ है। हमारे प्राचीन महाकाव्य जैसे कि महाभारत, रामायण आदि में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के कई रूपों का वर्णन देखने को मिलता है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए गए हैं और इन प्रयासों में काफी हद तक सफलता भी मिली है परंतु अभी भी इस दिशा में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। सर्वप्रथम सामाजिक मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है जैसे कि माता–पिता और समाज द्वारा विवाह को असाधारण महत्व दिए जाने तथा किसी भी कीमत पर विवाह के लिए दबाव डालने की मानसिकता का विरोध करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार दहेज प्रथा का स्थायित्व महिलाओं की महत्ता को कम करता है और लड़कियों के पैदा होने को अवांछित बनाता है। अविवाहित रहने के विकल्प को सम्मान और महत्त्व दिया जाना चाहिए। अकेले रहने वाली अविवाहित अथवा पैतृक परिवार के साथ रहने वाली महिला को विचलन के बदले एक प्रतिमान के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. पांडे, गणेश (2004) भारतीय सामाजिक समस्याएं. नई दिल्लीः काका पब्लिकेशंस.
2. रूप बोहरा (1981) स्टेटस एजुकेशनल एंड प्रॉब्लम ऑफ़ वीमेन
3. शर्मा, सुनीता (2001). अपराधिक महिलाएं एवं समाज. नई दिल्लीः राधा पब्लिकेशंस.
4. गौतम, कृपा (2004) भारतीय स्त्रीः लिंगानुपात एवं सशक्तिकरण. नई दिल्लीः मिश्रा पब्लिकेशंस
5. एंटोनी, एम.जी. (1989) वूमेनस राइट्स, नई दिल्लीः हिंद पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड.
6. नारायणी, प्रकाश (2002) महिला जागृति और कानून. जयपुरः आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स
7. अंसारी, एम.ए. (2006) नारी जीवनः सुलगते प्रश्न. जयपुरः ज्योति प्रकाशन
8. जैन, अरविंद (1996) औरत होने की सजा. दिल्लीः विकास पेपर वैक्स प्रकाशन.
9. जैन, प्रतिभा और शर्मा, संगीता (1998) भारतीय स्त्री सांस्कृतिक संदर्भ. जयपुरः रावत पब्लिकेशन.
10. पांडे, मृणाल (1996) परिधि पर स्त्री. नई दिल्लीः राधा प्रकाशन
11. लावानिया, एम.एम. (1996) भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र. नई दिल्लीः रिसर्च पब्लिकेशंस.
12. गुप्ता, हनुमान, प्रसाद (2004) महिला एवं अपराधइलाहाबादः ढींगरा एंड कंपनी।